उत्तर प्रदेश शासन

समाज कल्याण अनुभाग-3

संख्या-220/2016/5857/26-3-2016-4(66)/2015

लखनऊः दिनांक-16 दिसम्बर 2016

कार्यालय ज्ञाप

निदेशक, समाज कल्याण की अध्यक्षता में गठित समिति के आदेश दिनांक-10.08.2015 द्वारा उत्तर प्रदेश में निजी क्षेत्र में स्थापित स्वामी विवेकानन्द, सुभारती विश्वविद्यालय, मेरठ को दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत अनियमितता बरतने का प्रथमदृष्टया दोषी पाये जाने पर 'ब्लैकलिस्ट' किया गया था। निदेशालय, समाज कल्याण के उक्त आदेश दिनांक-10.08.2015 के विरूद्ध उक्त शिक्षण संस्थान द्वारा प्रमुख सचिव, समाज कल्याण, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में गठित अपीलीय फोरम के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील दिनांक-17.08.2015 एवं दिनांक-09.11.2015 प्रस्तुत की गयी थी।

2- शासन स्तर पर गठित अपीलीय फोरम द्वारा सुनवाई करने के उपरान्त शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-101/2016/आर-1354/26-3-2016-4(66)/2015, दिनांक-03.05.2016 द्वारा शिक्षण संस्था की उक्त अपील को अस्वीकार करते हुये निरस्त कर दी गयी थी। शासन के उक्त आदेश दिनांक-03.05.2016 के विरूद्ध शिक्षण संस्था द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में रिट याचिका संख्या-33140/2016 स्वामी विवेकानन्द सुभारती विश्वविद्यालय, मेरठ बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य योजित की गयी। उक्त याचिका में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक-17.10.2016 एवं दिनांक-26.10.2016 को निम्नवत् आदेश पारित किया गयाः-

Following orders were passed in the matter on 7.10.2016:-

"Following orders were passed on 29.7.2016:

"Sri Anurag Khanna, learned senior counsel appearing for the petitioner submits that under the scheme framed for disbursement of scholarship, there was no stipulation in the form warranting disclosure by the institution regarding category whereunder claim of a particular student was to be processed for payment of scholarship. It is submitted that there was no misrepresentation on part of the petitioner and in the fact finding enquiry conducted by the respondents themselves, it was noticed that the mistake in wrong mentioning of category of students was solely at the level of District Social Welfare Officer. Submission is that in such circumstances, no punitive action could have been taken against the petitioner.

Sri A. K. Pandey, learned Additional Advocate General appearing for the respondent state authorities seek short adjournment in order to clarify the position in this regard. Learned Additional Advocate General states that till the next date fixed, no further adverse action is proposed to be taken against the petitioner.

On the prayer made on behalf of respondents, list this matter on 3.8.2016 in the additional cause list" The matter thereafter was deferred to 3.8.2016, 9.8.2016,31.8.2016 and again on 19.9.2016 to enable the State to file a counter affidavit substantiating allegations against the petitioner. A Counter affidavit has been filed consisting of six paras. None of the averments made in the Writ Petition are effectively denied. Court is at a loss to understand as to on what basis a serious action of blacklisting has been taken in the matter. Either ,there

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

exists no material against the petitioner or material facts have been suppressed while filing counter affidavit.

Learned counsel for the petitioner states that the team of National Assessment and Accreditation Council is visiting the University on 18.10.2016. List again in the additional cause list on 17.10.2016. The Principal Secretary, Samaj Kalyan, State of U.P shall remain personally present before the Court to assist it and to clarify the exact stand of the State in the matter. Relevant records shall also be produced".

Pursuant to the directions aforesaid, Sri Manoj Singh, Principal Secretary, Social Welfare has appeared before this Court.Statement is made by the Principal Secretary that the State intends to revisit the decision taken by it, to black list the petitioner, after examining its records afresh. In view of the stand taken by the State through its Principal Secretary, who is present in Court, this Court is not inclined to enter into the merits of the challenge laid in this petition to the orders impugned.

Writ Petition accordingly is disposed of permitting the State Government to reconsider the issue afresh, after affording an opportunity of hearing to the petitioner in the matter within a period of 4 weeks from today. Till a fresh decision in the matter is taken, as indicated above, the orders impugned dated 3.5.2016 and 10.8.2015 shall be kept in abeyance and would not be relied upon by the NAAC for the purposes of inspection of petitioner institution, and shall abide by the orders to be passed afresh by the State. The State shall also take a decision with regard to registration of the students of the petitioner institution in the scholarship/ fee reimbursement scheme for the current session. It is, however, clarified that in case any other proceedings have been initiated in the matter, the same shall not be influenced by this order and would be dealt with in accordance with law.

Order Date :- 17.10.2016

Ref: Modification Application No. 330298 It is stated that there are no criminal proceedings pending in the matter and all other proceedings pending are dependent upon the order impugned in the writ petition. In such view of the matter order dated 17.10.2016 is modified and the last para of the order stands deleted.

Order Date :- 26.10.2016

3— मा0 उच्च न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक—17.10.2016 एवं दिनांक—26.10.2016 के अनुपालन में याची शिक्षण संस्था के पुर्नविचार, प्रत्यावेदन दिनांक—07.11.2016 / 09.11.2016 प्रकरण पर पुर्नविचार किये जाने हेतु अपीलीय फोरम की सुनवाई दिनांक—25.11.2016 को निर्धारित की गयी। फोरम में सुनवाई के समय मा0 उच्च न्यायालय के उक्त आदेशों के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण पर विचार करने पर यह पाया गया कि मा0 उच्च न्यायालय द्वारा राज्य सरकार को नये सिरे से पुर्नविचार करते हुये (प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0शासन) आदेश पारित करने के आदेश निर्गत किये गये हैं। अतएव मा0 न्यायालय के उक्त आदेश के पारित होने के बाद प्रकरण को अपीलीय फोरम के समक्ष रख कर पुर्नविचार किये जाने का औचित्य नही पाया गया। प्रकरण को गुण—दोष के आधार पर स्वतंत्र रूप से प्रमुख सचिव, समाज कल्याण, उ0प्र0शासन के स्तर पर विचार किया गया।

4– प्रकरण यह है कि समाज कल्याण निदेशालय द्वारा दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत छात्रवृत्ति के जनपद मेरठ में वितरण की जाँच करने हेतु निदेशालय आदेश संख्या सी–2259/स.क./शिक्षा–अ/जाँच/2014–15 दिनांक–28.08.2014 द्वारा एक जाँच समिति गठित की गई थी। जाँच समिति ने अपनी रिपोर्ट दिनांक–07.11.2014 में यह निष्कर्ष निकाला कि दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना नियमावली–2012 के प्रस्तर संख्या–11(iv) (च) में उल्लेख है कि निजी क्षेत्र के ऐसे संस्थान जिनकी शुल्क संरचना केन्द्र अथवा राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित नही है, किन्तु संस्थान अपने यहां संचालित पाठ्यक्रम की शुल्क संरचना निर्धारित करने हेतु अधिकृत है, उनमें अध्ययनरत छात्रों को शुल्क प्रतिपूर्ति वरीयता श्रेणी 'क' से 'घ' में छात्र–छात्राओं को छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति से संतृप्त करने के पश्चात प्रथम आवत–प्रथम पावत व्यवस्थानुसार योजनान्तर्गत बजट की उपलब्धता की सीमा तक दी जायेगी। समिति ने यह पाया कि दो निजी विश्वविद्यालयों जिनमें एक स्वामी विवेकानन्द सुभारती विश्वविद्यालय, मेरठ भी है, में अध्ययनरत छात्रों को वरीयता श्रेणी का उल्लंघन करते हुये सम्बन्धित संस्था/शिक्षा विभाग के अधिकारी/जिला समाज कल्याण अधिकारी, मेरठ द्वारा वरीयता 'च' श्रेणी से पहले की वरीयता प्रदान करते हुये दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति नियमावली में उल्लिखित नियमों के विपरीत भुगतान कराया गया है। समिति ने यह भी पाया कि जाँच की तिथि तक प्रदेश में वरीयता 'च' श्रेणी के अन्तर्गत आने वाले वर्ष 2013–14 की छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति प्रदान नही की गई है। समिति ने अपने निष्कर्ष में यह लिखा है कि जिला समाज कल्याण अधिकारी, मेरठ द्वारा अपलोड डाटा में 'फ्री' सीट एवं 'पेड' सीट के सम्बन्ध में स्पष्ट उल्लेख न कर बेनीफिसरी सूची में वरीयता 'च' श्रेणी के छात्रों को 'फ्री' सीट पर अनियमित फीड करा दिया गया है।

समिति की रिपोर्ट के आधार पर स्वामी विवेकानन्द सुभारती विश्वविद्यालय, मेरठ को कारण बताओं नोटिस संख्या–6210–13/स.क./शिक्षा–अ/2014–15/लखनऊ दिनांक–17.03.2015 जारी किया गया कि अनियमित प्रकिया अपनाकर प्राप्त की गई शासकीय धनराशि की वसूली भू–राजस्व के बकाये की भांति करते हुये उनकी संस्था को काली सूची में डाला दिया जाए एवं मान्यता समाप्त करने की कार्यवाही की जाए।

स्वामी विवेकानन्द सुभारती विश्वविद्यालय, मेरठ द्वारा पत्र संख्या–यू0–256/एस.वी.एस.यू.2015/1125/दिनांक–16.02.2015, पत्रांक–यू0–256/एस.वी.एस.यू./2015/1817 दिनांक–27.04.2015 एवं पत्र संख्या–एस.वी.एस.यू./2015/297 दिनांक–28.07.2015 द्वारा अपना स्पष्टीकरण दिया गया। उक्त विश्वविद्यालय से स्पष्टीकरण प्राप्त होने के उपरान्त ब्लैकलिस्ट के सम्बन्ध में मुख्य सचिव, उ0प्र0शासन की ओर से निर्गत समाज कल्याण अनुभाग–3 के शासनादेश संख्या–2312/26–3–2014, दिनांक–03.12.2014 में अंकित व्यवस्था/प्रकिया के कम में उक्त विश्वविद्यालय को काली सूची में डालने पर विचार करने हेतु चार सदस्यीय समिति की बैठक निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0लखनऊ की अध्यक्षता

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

में दिनांक 28.07.2015 को आयोजित की गई। बैठक में सदस्यों द्वारा यह पाया गया कि "चूकि शिक्षण संस्थान को पाठ्यक्रम को स्वयं शुल्क निर्धारण का अधिकार था जिसके आधार पर नियमावली में वर्णित वरीयता क्रम में वरीयता श्रेणी च के अन्तर्गत संस्थान वर्गीकृत था परन्तु संस्थान द्वारा जानबूझकर नियमों की अवहेलना करते हुए अपने संस्थान में अध्ययन रत समस्त पात्र छात्र छात्राओं के आवेदन पत्रों जिनमें छात्रों द्वारा पाठयक्रम का प्रकार श्रेणी ग अथवा घ अंकित किया गया था को दुराष्य से शिक्षा विभाग के अधिकारी के लागिन आईडी पर अग्रसारित किया गया।" इसके अतिरिक्त समिति ने यह भी पाया कि छः छात्रों को संस्थान द्वारा अपने यहां छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की राशि गबन करने एवं अनियमित रूप से शासकीय धनराशि प्राप्त करने हेतु छात्रों का डाटा एक ही वर्ष में एक ही कोर्स अथवा अलग–अलग कोर्सों में दो या तीन बार सत्यापित एवं अग्रसारित किया गया। समिति ने अपने आदेश दिनांक 10.08.2015 में उपरोक्त कारणों से स्वामी विवेकान्द सुभारती विश्वविद्यालय को शासनादेश के प्रावधानों के अनुसार काली सूची में दर्ज करने का निर्णय लिया।

संस्था द्वारा उक्त आदेश के विरूद्ध प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश शासन को प्रत्योवदन सं0 SVSU/2015/2188 दिनांक 17.08.2015, प्रत्यावेदन सं0 यू0–256/एस0वी0एस0यू0/2015/110 दिनांक 01.10.2015 एवं 09.11.2015 दिए गए। उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश सं0 2312/26–3–2014 दिनांक 03.12.2014 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार प्रमुख सचिव समाज कल्याण, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय अपीलीय फोरम का गठन किया गया। जिसमें स्वामी विवेकानन्द सुभारती विश्वविद्यालय को काली सूची में डाले जाने के निर्णय के विरूद्ध प्राप्त प्रत्यावेदनों पर विचार किया गया।

स्वामी विवेकानन्द सुभारती विश्वविद्यालय ने पत्र दिनांक 19.12.2015 एवं 29.12.2015 द्वारा अपना पक्ष लिखित में अपीलीय फोरम के समक्ष रखा जिसमें सभी आरोपों का उत्तर देते हुए अपने आप को निर्दोष बताया गया। अपीलीय फोरम के अध्यक्ष द्वारा प्रकरण की जांच एवं पुष्टि तथा भौतिक सत्यापन हेतु 4 सदस्यीय समिति गठित की गई जिसने अपनी आख्या दिनांक 04.04.2016 को सौंप दी।

स्वामी विवेकानन्द सुभारती विश्वविद्यालय द्वारा दिए गए प्रत्यावेदनों, भौतिक सत्यापन समिति की जाँच आख्या दिनांक 04.04.2016 एवं अन्य आलेखों को आधार मानते हुए अपीलीय फोरम ने दिनांक 03.05.2016 को निम्न आदेश पारित किया:–

"अतएव प्रकरण के सम्बन्ध में अपीलीय फोरम के समक्ष, प्रस्तुत अभिलेखों/साक्ष्यों के सम्यक अनुशीलन में यह पाया गया कि शिक्षण संस्थान का कथन/दावा पूरी तरह से सत्य नहीं है। निजी क्षेत्र में स्थापित उक्त शिक्षण संस्थान को छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति नियमावली 2012 में निर्धारित वरीयता श्रेणी–'च' में न दर्शाकर अनुचित लाभ पाने हेतु वर्ष 2013–14 में शिक्षण संस्थान में अध्ययनरत, छात्र/छात्राओं का डाटा छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु वरीयता श्रेणी– 'ग/घ' (फ्री सीट एवं पेड सीट) में दर्शाते हुए डाटा को अग्रसारित किया गया तथा कतिपय छात्रों को एक ही

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

शैक्षिक सत्र में एक से अधिक पाठयक्रम में दो से तीन बार दर्शाते हुए डाटा फारवर्ड कर छात्रवृत्ति एवं शुल्कप्रतिपूर्ति अनुचित रूप से प्राप्त की गई है।

अतएव उक्त विवेचन के उपरान्त अपीलीय फोरम सर्वसम्मति से इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि निदेशक समाज कल्याण की अध्यक्षता में गठित समिति के आदेश दिनांक 10.08.2015 द्वारा याची शिक्षण संस्थान (स्वामी विवेकानन्द सुभारती विश्वविद्यालय) को दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क पूर्ति योजना अन्तर्गत अनियमितता बरतने के आरोप में किया गया ब्लैक लिस्ट सम्बन्धी निर्णय उचित एवं नियमानुसार है। इसमें हस्तक्षेप करने का कोई अवसर नहीं है। तदानुसार याची शिक्षण संस्थान की अपील/प्रत्यावेदन दिनांक 17.08.2015 एवं 09.11.2015 को उपरोक्तानुसार एततद द्वारा निस्तारित किया जाता है।''

स्वामी विवेकानन्द सुभारती विश्वविद्यालय द्वारा पूर्व में पारित दोनों आदेशों दिनांक 10.08.2015 एवं 03.05.2016 को निरस्त करने और संस्था का नाम ब्लैक लिस्ट से हटाने तथा संस्था के छात्रों को शैक्षिक वर्ष 2015–16 के लिए शुल्क प्रतिपूर्ति एवं छात्रवृत्ति वितरित किए जाने हेतु पंजीकृत करने एवं शुल्क प्रतिपूर्ति एवं छात्रवृत्ति वितरित किए जाने की याचना के साथ माननीय उच्च न्यायालय में याचिका संख्या 33140/2016 दायर की गई। विश्वविद्यालय द्वारा मा0 उच्च न्यायालय के समक्ष विस्तार से बिन्दुवार यह दलील दी गई कि छात्रों द्वारा भरे जाने वाले आवेदन पत्रों में वरीयता श्रेणी का कोई कॉलम नहीं होता तथा दशमोत्तर छात्रवृत्ति की योजना के प्रावधानों के अनुसार वरीयता श्रेणी के निर्धारण का दायित्व विश्वविद्यालय का नहीं होता अतः उसपर लगाया गया आरोप पूरी तरह निराधार है। इस सम्बन्ध में विश्वविद्यालय द्वारा दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना के सम्बन्ध में शासन द्वारा जारी किए गए शासनादेशों की प्रतियाँ याचिका के साथ संलग्न कीं। विश्वविद्यालय ने आरोपित छः छात्रों के सम्बन्ध में प्रत्येक छात्र से सम्बन्धित तर्क दिए कि विश्वविद्यालय की ओर से किसी भी प्रकार की कोई अनियमितता नहीं बरती गई। किसी भी छात्र का न तो एक वर्ष में दो बार नाम भेजा गया, न ही एक छात्र का एक से अधिक पाठयक्रमों में नाम भेजा गया और न ही किसी भी शासकीय राशि को विश्वविद्यालय द्वारा अनियमित रूप से प्राप्त किया गया। विश्वविद्यालय द्वारा यह कहा गया कि दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत जो भी राशि दी जाती है वह सीधे छात्र/छात्राओं के खाते में जाती है न कि विश्वविद्यालय के। इस प्रकार विश्वविद्यालय ने अपनी याचिका में कुल 69 बिन्दुओं में अपना पक्ष रखा एवं उसके समर्थन में 40 संलग्नक लगाए।

संस्था की याचिका के उत्तर में समाज कल्याण विभाग की ओर से समाज कल्याण अधिकारी मेरठ द्वारा प्रतिशपथ पत्र जमा किया गया। पांच पृष्ठ के प्रतिशपथ पत्र के सात बिन्दुओं में विश्वविद्यालय की याचिका के 69 बिन्दुओं का उत्तर अंकित किया गया है तथा संलग्नक के रूप में 2012–13 में विश्वविद्यालय के छात्र/छात्राओं को दी गई छात्रवृत्ति एवं शुल्कप्रतिपूर्ति की सूची लगाई गई है। प्रतिशपथ पत्र के बिन्दु 4 के अंतिम पैरा में यह कहा गया है कि विश्वविद्यालय द्वारा वर्ष 2012–13 में वरीयता श्रेणी 'च' में आवेदन किया गया था परन्तु वर्ष 2013–14 में विश्वविद्यालय ने नियमों का उल्लघंन करते हुए 'च' श्रेणी के स्थान पर

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

छात्रों को 'ग' व 'घ' श्रेणी में दर्शाते हुए शासकीय धनराशि आवेदित की जोकि नियमों के विरूद्ध है।

समाज कल्याण अधिकारी, मेरठ द्वारा अपने प्रति शपथ पत्र में कहा गया है कि वे विश्वविद्यालय के द्वारा दिए गए तर्कों से सहमत नहीं है। प्रतिशपथ पत्र में समाज कल्याण विभाग द्वारा संस्था द्वारा दायर याचिका में दिए गए किसी भी तर्क का प्रभावी रूप से न तो खण्डन किया और न ही कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया जोकि मा0 न्यायालय को यह सिद्ध कर सके कि विश्वविद्यालय को काली सूची में डालने का समाज कल्याण विभाग का निर्णय सही था।

समाज कल्याण द्वारा दिए गए प्रतिशपथ पत्र एवं शासकीय अधिवक्ता के तर्कों से पूर्णतः असंतुष्ट मा0 उच्च न्यायालय ने मुझे दिनांक 17.10.2016 को न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने का आदेश दिया। मैं स्वंय दिनांक 17.10.2016 को माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुआ। मा0 न्यायधीश उच्च न्यायालय समाज कल्याण के प्रतिशपथपत्र से पूर्णतः असन्तुष्ट थे और मा0 न्यायाधीश विश्वविद्यालय द्वारा उठाए गए सभी बिन्दुओं एवं तर्को पर विस्तृत उत्तर चाहते थे। मा0 न्यायाधीश इस बात पर अचम्भित थे कि समाज कल्याण विभाग द्वारा बिना पर्याप्त साक्ष्यों एवं आधार के किसी भी विश्वविद्यालय को किस प्रकार काली सूची में डाला गया। मा0 न्यायालय ने इसे एक गम्भीर विषय माना। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा समाज कल्याण के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्को को सुनने के बाद यह आदेश दिया कि प्रमुख सचिव समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन, विश्वविद्यालय को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के उपरान्त तथा पत्रावली का गहन अध्ययन करके 4 सप्ताह में पुनः आदेश पारित करें।

मा0 न्यायालय के उपरोक्त आदेश के क्रम में संस्था द्वारा समस्त साक्ष्यों सहित प्रत्यावेदन दिनांक 07.11.2016 दिया गया जिसमें विश्वविद्यालय ने अपने आप को पुनः पूर्णत निर्दोष होने का दावा किया। विश्वविद्यालय द्वारा एक और प्रत्यावेदन दिनांक 09.11.2016 भी दिया गया जिसमें संस्था ने यह निवेदन किया कि चूंकि विश्विद्यालय निर्दोष है तथा उसके छात्र/छात्राओं शैक्षिक सत्र 2015–16 एवं 2016–17 में पंजीकृत कर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति दिलवाई जाए।

संस्था को दिनांक 25.11.2016 को समस्त अभिलेखों एवं साक्ष्यों के साथ उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया। दिनांक 25.11.2016 को विश्वविद्यालय की ओर से संस्था के प्रायोजक ट्रस्ट के ट्रस्टी डा0 अतुल कृष्ण प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित हुए तथा उन्होंने बिन्दुवार अपना पक्ष रखा। विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि द्वारा निम्न तर्क दिए गए:–

आरोप सं0 1 –

वरीयता श्रेणी का उल्लंघन कर छात्रों की छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि, श्रेणी (च) के स्थान पर छात्रों को श्रेणी–'ग' एवं श्रेणी–'घ' में दर्शाते हुए, अनुचित रूप से प्राप्त कर लेना।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

स्पष्टीकरण–

विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि के अनुसार छात्र/छात्राओं द्वारा भरे जाने वाले छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति आवेदन पत्रों में श्रेणी का कोई उल्लेख नहीं है। छात्र द्वारा भरे गये आवदेन पत्रों को विश्वविद्यालय द्वारा समाज कल्याण को केवल अग्रेषित किया जाता है। श्रेणी निर्धारण करने का अधिकार शासन या समाज कल्याण को है। श्रेणी निर्धारण के उपरान्त समाज कल्याण विभाग द्वारा समस्त जानकारी अपने सॉफ्टवेयर में ऑनलाइन अपलोड की जाती है जिसमें भी वरीयता श्रेणी का कोई कॉलम नहीं है। विश्वविद्यालय के पास ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिससे समाज कल्याण के डाटाबेस के अतिरिक्त कहीं और भरी गई किसी भी प्रविष्टि जिसमें श्रेणी का वर्णन हो, संस्था द्वारा देखा जा सके या उसमें अपने स्तर से कोई परिवर्तन किया जा सके। अतः यह आरोप कि विश्वविद्यालय ने छात्रों को गलत श्रेणी में प्रविष्ट कराया तथ्यों के विपरीत है।

आरोप सं0 2 –

छः छात्रों को एक ही शैक्षणिक वर्ष में एक ही कोर्स अथवा अलग–अलग कोर्सों में दो या तीन बार दर्शाते हुए छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति प्राप्त की गई अथवा प्राप्त करने का प्रयास किया गया।

स्पष्टीकरण –

विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि के द्वारा एक विस्तृत चार्ट दिया गया जिसमें प्रत्येक छात्र के संदर्भ में समाज कल्याण विभाग द्वारा संस्था पर लगाए गए मूल आरोपों, भौतिक सत्यापन समिति की आख्या के आधार पर उन आरोपों में संशोधन तथा संस्था का प्रत्येक छात्र के सम्बन्ध में लगाए गए आरोपों का खण्डन किया गया है। चार्ट के साथ विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि द्वारा आवश्यक संलग्नक प्रमाण स्वरूप जमा किए गए हैं।

सभी तर्कों का विस्तृत रूप से अध्ययन करने के उपरान्त मैं निम्न निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ:–

1. दशमोत्तर छात्रृत्ति योजना शासनादेश दिनांक 26.09.2012 एवं 02.12.2013 के बिन्दु सं0 6, 7 एवं 8 में नियम सं0 12 (ii), (iii), (iv) में संस्था के दायित्व दिए गए हैं जिनमें कही भी वरीयता श्रेणी के निर्धारण का दायित्व विश्वविद्यालय को नहीं दिया गया है। वरीयता श्रेणी निर्धारण का अधिकार समाज कल्याण अधिकारी एवं जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति का है।
2. संस्था का दायित्व छात्रों द्वारा भरे गए आवेदन पत्रों की सत्यता को प्रमाणित करते हुए आवश्यक संलग्नों सहित उन्हें समाज कल्याण को अग्रेषित करना है। आवेदन पत्र में वरीयता श्रेणी का कोई कॉलम नहीं है। अतः छात्र द्वारा वरीयता श्रेणी भरने अथवा संस्था द्वारा उसे सही करने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। ऐसा प्रतीत होता है समाज कल्याण अधिकारी ने आवेदन पत्र में 'फ्री' एवं 'पेड' सीट को वरीयता श्रेणी से जोड़कर देखा जिससे कि त्रुटिवश 'फ्री' एवं 'पेड' सीट के आधार पर समाज कल्याण अधिकारी

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

द्वारा छात्रों को 'ग' व 'घ' श्रेणी में मान लिया गया। वास्तव में 'फ्री' एवं 'पेड' सीट की व्याख्या शासनादेश दिनांक 26.09.2012 के बिन्दु 5 (ix एवं x) में की गई है जबकि वरीयता श्रेणी की व्याख्या उसी शासनादेश के बिन्दु 11 में की गई है। अतः यह स्पष्ट है कि फ्री एवं पेड सीट एवं वरीयता श्रेणी अलग–अलग विषय है न कि एक।

3. विश्वविद्यालय ने वर्ष 2012–13 एवं 2013–14 में एक ही प्रकार आवेदन पत्रों को अग्रसरित किया। अतः यदि समाज कल्याण विभाग ने विश्वविद्यालय को वर्ष 2012–13 में वरीयता श्रेणी 'च' में रखा था, जैसा कि माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष दिए गए प्रतिशपथ पत्र में समाज कल्याण अधिकारी द्वारा कहा गया है, तो स्वाभाविक रूप से वर्ष 2013–14 में भी समाज कल्याण विभाग को संस्था को 'च' श्रेणी में रखना था।
4. समाज कल्याण अधिकारी द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में जमा किए गए प्रतिशपथ पत्र में इस प्रकार का कोई संलग्नक अथवा पत्रावली में कोई पत्र/अभिलेख ऐसा नहीं पाया गया जिसमें विश्वविद्यालय द्वारा यह कहा गया हो कि वर्ष 2013–14 में छात्रों/पाठ्यक्रमों के शुल्क का निर्धारण सरकार द्वारा किया गया हो न कि स्वयं विश्वविद्यालय द्वारा, जिससे कि वह वरीयता श्रेणी 'च' के स्थान पर 'ग' अथवा 'घ' श्रेणी में विचारित की जाए।
5. विश्वविद्यालय ने अपने पत्रों दिनांक 08.05.2014 एवं 23.05.2014 के द्वारा समाज कल्याण विभाग को यह सूचित किया है कि वर्ष 2013–14 में पाठ्यक्रमों के शुल्क का निर्धारण विश्वविद्यालय द्वारा स्वंय किया गया है।

अतः यह आरोप कि संस्था ने जानबूझकर छात्रों के आवेदन पत्र वरीयता श्रेणी 'च' के स्थान पर 'ग' एवं 'घ' श्रेणी में अग्रसरित किए, आधारहीन पाया गया। विश्वविद्यालय इस आरोप से मुक्त किया जाता है।

संस्था का यह तर्क सही है कि वर्ष 2013–14 में 'च' श्रेणी के अनेकों संस्थानों को छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति दी गई थी। अतः यदि समाज कल्याण अधिकारी द्वारा भूलवश संस्था के अभ्यर्थियों को 'च' के स्थान पर 'ग' व 'घ' श्रेणी में मान कर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति दे भी दी गई है तो किसी भी प्रकार शासकीय धनराशि का दुरूपयोग नहीं हुआ है।

ख. आरोप सं0 दो के अनुसार विश्वविद्यालय द्वारा छात्रों को एक ही शैक्षिक सत्र में एक से अधिक पाठयक्रम में दो से तीन बार दर्शाते हुए डाटा फारवर्ड कर छात्रवृत्ति एवं शुल्कप्रतिपूर्ति अनुचित रूप से प्राप्त की गई है। छः छात्र/छात्राओं के सम्बन्ध में भौतिक सत्यापन समिति की आख्या, विश्वविद्यालय द्वारा दिए गए तर्को, एवं उपलब्ध कराए गए आलेखों के आधार पर वस्तुस्थिति निम्न प्रकार है।

1. मनोज कुमार– भौतिक सत्यापन समिति ने यह तो स्वीकार किया है कि मनोज कुमार ने वर्ष 2011–12 में बी.एस.सी. नर्सिंग के प्रथम वर्ष में प्रवेश लिया एवं वर्ष 2013–14 में बी.एस.सी द्वितीय वर्ष में आवेदन भरा परन्तु त्रुटिवश वर्ष 2013–14 के आवेदन पत्र में प्रथम वर्ष भर दिया। अतः छात्र को राशि सही आवंटित हुई तथा उसमें संस्था का कोई दोष नहीं है। परन्तु भौतिक सत्यापन समिति ने यह आरोप लगाया है कि विभाग द्वारा

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

छात्र के खाते में छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति के मद में कुल रु0 80,860/– की राशि अन्तरित की गई, तथा सम्पूर्ण राशि संस्था ने डेबिट वाउचर के माध्यम से अपने खाते में अन्तरित कर ली जबकि विश्वविद्यालय के कतिपय पाठयक्रम में शुल्क कम थी जोकि एक आर्थिक अनियमितता है।

विश्वविद्यालय की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि ने स्वीकार किया कि छात्र ने भूलवश चैक सं0 92827 दिनांक 11.04.2014 द्वारा सम्पूर्ण रु0 80,860/– की राशि विश्वविद्यालय के खातें में अन्तरित कर दी परन्तु जैसे ही लेखा विभाग को यह जानकारी प्राप्त हुई कि छात्र ने विश्वविद्यालय के खाते में अधिक शुल्क जमा कर दिया है तो संस्था द्वारा ओरियन्टल बैंक ऑफ कामर्स के चैक सं0 92515, दिनांक 03.05.2014 द्वारा छात्र को रु0 21896/– की राशि, जोकि वास्तविक शुल्क से अधिक थी, वापिस कर दी गई। यह राशि छात्र के खाते में दिनांक 15.05.2014 को अन्तरित हो गई। साक्ष्य के रूप में विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि द्वारा चैक सं0 92515 दिनांक 03.05.2014 की छायाप्रति जिसपर छात्र ने प्राप्ति के हस्ताक्षर किए हैं, संस्था द्वारा छात्र का लेखा पत्र एवं छात्र के बैंक खाते की छायाप्रति जिसमें उक्त राशि का छात्र के खाते में अन्तरण दिखाया गया है जमा की।

अतः विश्वविद्यालय मनोज कुमार के केस में विश्वविद्यालय किसी आर्थिक अनियमितता का दोषी नहीं पाया गया।

2. भौतिक सत्यापन समिति द्वारा सचिन त्यागी के डाटा को विश्वविद्यालय द्वारा केवल एक बार ही अग्रेषित करना पाया गया तथा विश्वविद्यालय द्वारा राशि तीन बार प्राप्त करना नहीं पाया गया। अतः संस्था मूल आरोप की दोषी नहीं पाई गई।

भौतिक सत्यापन समिति द्वारा यह कहा गया है कि सचिन त्यागी का नाम फोर्ट इन्स्टीट्यूट द्वारा भी वर्ष 2013–14 में अग्रेषित किया गया है।

विश्वविद्यालय की ओर से प्रतिनिधि द्वारा सचिन त्यागी के आवेदन पत्र की प्रति, उसकी प्रथम एवं द्वितीय वर्ष की अंक तालिकाएँ एवं डिग्री की छायाप्रति जमा की गईं, जो यह स्पष्ट करता है कि सचिन त्यागी स्वामी विवेकानन्द सुभारती विश्वविद्यालय का ही छात्र था। यदि उसका नाम फोर्ट इन्सटीट्यूट द्वारा भी दिखाया गया है तो फोर्ट इन्सटीट्यूट से जानकारी प्राप्त की जानी चाहिए कि उसने सचिन त्यागी का नाम गलत क्यों फीड किया? दोषी पाए जाने पर फोर्ट इंस्टीट्यूट के विरूद्ध कार्यवाही की जानी चाहिए।

अतः सचिन त्यागी के केस में विश्वविद्यालय को कोई दोष नहीं पाया गया।

3. कु0 अरनिका रावत के विषय में भौतिक सत्यापन समिति ने स्वयं लिखा है कि विश्वविद्यालय द्वारा उसका डाटा केवल एक बार ही अग्रेषित किया गया। अतः विश्वविद्यालय कु0 अरनिका रावत के केस में दोषरहित है।

4. विश्वविद्यालय पर आरोप है कि कु0 शोभा यादव ने जी0एन0एम0 प्रथम वर्ष में प्रवेश लिया था तथा विश्वविद्यालय द्वारा उसे डी0एम0आर0टी0 के प्रथम वर्ष में भी दर्शाया गया। विश्वविद्यालय द्वारा वर्ष 2009–10 में समाज कल्याण विभाग को अग्रेषित की गई छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की सूचियों की प्रतियाँ जमा की गई हैं जिसमें यह स्पष्ट

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

है कि कु0 शोभा यादव का नाम जी.एन.एम. प्रथम वर्ष में ही दर्शाया गया है, डी.एम. आर.टी. प्रथम वर्ष में नहीं। अतः इस केस में विश्वविद्यालय दोषी नहीं है।

5. विश्वविद्यालय पर आरोप है कि कु0 पूनम बालियान ने बी0फार्मा प्रथम वर्ष में प्रवेश लिया था तथा विश्वविद्यालय द्वारा उसे ओ0टी0टी0 के प्रथम वर्ष में दर्शाया गया। विश्वविद्यालय द्वारा वर्ष 2009–10 में समाज कल्याण विभाग को अग्रेषित की गई छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की सूचियों की प्रतियाँ जमा की गईं जिसमें यह स्पष्ट है कि कु0 पूनम बालियान का नाम बी0फार्मा प्रथम वर्ष में ही दर्शाया गया है ओ0टी0टी0 प्रथम वर्ष में नहीं। अतः इस केस में विश्वविद्यालय दोषी नहीं है।

6. विश्वविद्यालय पर आरोप है कि विश्वविद्यालय द्वारा यह वक्तव्य दिया गया कि मि0 रोहित गोस्वामी ने शैक्षिक सत्र 2009–10 में एम0बी0ए0 प्रथम वर्ष में प्रवेश लिया था जबकि उक्त छात्र ने 2008–09 में एम0बी0ए0 प्रथम वर्ष में प्रवेश लिया तथा उसे रु0 3300 की छात्रवृत्ति भी दी गई थी। विश्वविद्यालय द्वारा वर्ष 2009–10 में समाज कल्याण विभाग को अग्रेषित की गई छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की सूचियों की प्रतियाँ जमा की गईं जिसमें यह स्पष्ट है कि मि0 रोहित गोस्वामी का नाम विश्वविद्यालय द्वारा वर्ष 2009–10 में एम0बी0ए0 द्वितीय वर्ष में ही दर्शाया है न कि एम0बी0ए0 प्रथम वर्ष में। अतः इस केस में विश्वविद्यालय दोषी नहीं है।

कु0 शोभा यादव, कु0 पूनम बालियान एवं रोहित गोस्वामी वर्ष 2009–10 अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राएँ हैं। भौतिक सत्यापन समिति ने स्वयं यह जाँच करके लिखा है कि वर्ष 2009–10 में अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र–छात्राओं को शुल्क प्रतिपूर्ति नहीं दी गई। जब इन छात्र–छात्राओं को कोई शुल्क प्रतिपूर्ति दी ही नहीं गई तो विश्वविद्यालय द्वारा किसी शासकीय धनराशि का दुरूपयोग किए जाने या अनियमित रूप से शासकीय राशि को लेने का प्रश्न ही नहीं उठता।

यदि शोभा यादव का नाम समाज कल्याण के डाटा में डी.एम.आर.टी. में तथा कु0 पूनम बालियान का नाम ओ.टीटी प्रथम वर्ष में भी आ रहा है तो इसका कारण समाज कल्याण के साफ्टवेयर में तकनीकी त्रुटि हो सकता है जिसका उल्लेख स्वयं भौतिक सत्यापन समिति द्वारा सचिन त्यागी एवं अरनिका यादव के केस में किया गया है।

उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुए मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि स्वामी विवेकानन्द सुभारती विश्वविद्यालय को काली सूचि में डालने का निर्णय साक्ष्यों व तर्कों को गहनता से जाँच किए बिना जल्दबाजी में लिया गया। विश्वविद्यालय सभी दोषों से मुक्त पाया गया एवं मैं उसे काली सूचि से हटाने का निर्णय लेता हूँ।

प्रत्यावेदन दिनांक 09.11.2016 :–

उक्त प्रत्यावेदन में विश्वविद्यालय द्वारा आग्रह किया गया है कि उसके छात्र छात्राओं का वर्ष 2015–16 एवं 2016–17 हेतु छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति में पंजीकृत कर उन्हें छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति आवंटित की जाए।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

यह दृष्टिगत रखते हुये कि विश्वविद्यालय को अनुचित रूप से काली सूची में डाला गया था अब उसे काली सूची से हटा दिया गया है, अतएव मै आदेश देता हूँ कि शैक्षिक सत्र 2016-17 में विश्वविद्यालय में अध्ययनरत छात्र-छात्रों को सुसंगत नियमावली के अनुसार अर्ह पाये जाने एवं निर्धारित प्रक्रियानुसार उचित वरीयता श्रेणी के अन्तर्गत विचार करते हुये योजनान्तर्गत बजट की उपलब्धता के दृष्टिगत नियमानुसार छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति प्रदान की जाए।

जहां तक याची शिक्षण संस्था की शैक्षिक सत्र 2015-16 की दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति का सम्बन्ध है, उक्त प्रकरण प्रश्नगत रिट याचिका संख्या-33140/2016 में पारित मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक-17.10.2016 एवं दिनांक-26.10.2016 से आच्छादित नही है। इस बिन्दु पर याची शिक्षण संस्था की मांग का निदेशालय, समाज कल्याण से परीक्षण कराकर नियमानुसार पृथक से कार्यवाही की जायेगी।

मनोज सिंह
प्रमुख सचिव

पृ0सं0-220/2016/आर-5857(1)/26-3-2016 तद्दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- मुख्य स्थाई अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को उक्त रिट याचिका संख्या-33140/2016 में पारित आदेश दिनांक-17.10.2016 एवं दिनांक-26.10.2016 के सन्दर्भ में सूचनार्थ।

2- प्रमुख सचिव/सचिव, उच्च शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा/व्यवसायिक शिक्षा/चिकित्सा शिक्षा एवं कृषि शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।

3- निदेशक, समाज कल्याण/पिछड़ा वर्ग कल्याण/अल्पसंख्यक कल्याण/उच्च शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा/व्यवसायिक शिक्षा/चिकित्सा शिक्षा एवं कृषि शिक्षा विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

4- कुल सचिव, ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम आजाद तकनीकी विश्वविद्यालय, लखनऊ (पूर्व नाम यू0पी0टी0यू0)

5- निदेशक, एन0आई0सी0 राज्य योजना इकाई, योजना भवन, लखनऊ।

6- कुल सचिव, स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय, मेरठ।

7- जिला समाज कल्याण अधिकारी, मेरठ।

8- गार्डफाइल।

आज्ञा से,

कामता प्रसाद
अनुसचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in